संख्याः-468 /XIV-1/2018-5(1)/2017

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड,अल्मोड़ा।

सहकारिता,गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादून दिनांक 13 अप्रैल, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण" की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के कम में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-पी0-07/लेखा-बजट/2018-19 दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत कॉलम-4 में उल्लिखित "सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण" की विभिन्न मदों में **₹30,68,87,000.00 (₹तीस करोड़ अड़सठ लाख सतासी हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद-01- वेतन-03-मंहगाई भत्ता-06-अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0-5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0-13 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के पत्र संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 का व समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत आदेशों का अक्षरशः पालन निबंधक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है।

(5) वाहन कय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन कय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

कमशः

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था निबंधक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जायेगा। वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त पत्र दिनांक 02 अप्रैल, 2018 मे उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(7) वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या संम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

(8) अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

(9) आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॅाट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्भावित व्यय की फेंजिग की सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता –001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(धनराशि ₹हजार में)

मानक मद	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बजट के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
01	वेतन	249121	249121
02	मजदूरी	30	30
03	मंहगाई भत्ता	23977	23977
04	यात्रा भत्ता	1000	1000
05	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	600	600
06	अन्य भत्ते	23028	23028
07	मानदेय	20	20
08	कार्यालय व्यय	300	300
09	विद्युत देय	250	250
10	जलकर/जल प्रभार	50	50
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	300	300
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	100
13	टेलीफोन पर व्यय	250	250
14	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियोंका क्रय	1500	1500
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि की खरीद	1200	1200
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000	2000
17	किराया उपशुल्क और कर स्वमित्व	600	600
18	प्रकाशन	25	25
19	विज्ञापन ब्रिकी एवं विख्यापन व्यय	40	40
22	आतिथि व्यय विषयक भत्ता	20	20
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	–	–
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1500	1500

(3)			
29	अनुरक्षण	50	50
42	अन्य व्यय	50	50
44	प्रशिक्षण	01	01
45	अवकाश यात्रा व्यय	25	25
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय	300	300
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	550	550
	योग–	**306887**	**306887**

(₹तीस करोड़ अडसठ लाख सतासी हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः– 468 (1)/XIV–1/2018, तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. प्रभारी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोडा/देहरादून उत्तराखण्ड।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. उप निबंधक, सहकारी समितियां,उत्तराखण्ड ,अल्मोड़ा(मुख्यालय)।
6. वित्त–4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Co-operative (S005)

आवंटन पत्र संख्या - 468/xiv/2018-5(1)/2017

अलोटमेंट आई डी - S1804180184

अनुदान संख्या - 018

आवंटन पत्र दिनांक 13-Apr-2018

HOD Name - Registrar Co-operative Societies (2371)

1: लेखा शीर्षक 2425 - सहकारिता 00 -

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

00 - सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	249121000	249121000
02 - मजदूरी	0	30000	30000
03 - महंगाई भत्ता	0	23977000	23977000
04 - यात्रा व्यय	0	1000000	1000000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	600000	600000
06 - अन्य भत्ते	0	23028000	23028000
07 - मानदेय	0	20000	20000
08 - कार्यालय व्यय	0	300000	300000
09 - विद्युत देय	0	250000	250000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	50000	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों क	0	300000	300000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक	0	100000	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	250000	250000
14 - कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ	0	1500000	1500000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और प	0	1200000	1200000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेव	0	2000000	2000000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स	0	600000	600000
18 - प्रकाशन	0	25000	25000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्य	0	40000	40000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्त	0	20000	20000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	1500000	1500000
29 - अनुरक्षण	0	50000	50000
42 - अन्य व्यय	0	50000	50000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	1000	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	25000	25000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेय	0	300000	300000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्ब	0	550000	550000
	0	306887000	306887000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 306887000

12/4/18